समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री सुधीर कुमार सिंह पे0 स्व0 रघुवीर प्रसाद सिंह, ग्राम पटोरी, थाना- सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/95(सिंहेश्वर थाना) पर धारित शस्त्र सं0-94ए.बी.4276 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि पारिवारिक कार्यवश गाँव से बाहर रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का नवीकरण/ निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त कर नवीकरण/ निरीक्षण कराने हेतु आदेश की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु एक और मौका देते हुए 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी किसी भी तिथियों में श्री सुधीर कुमार सिंह (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश उपलब्ध नहीं कराया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 101/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/95(सिंहेश्वर थाना) पर धारित शस्त्र सं0-94ए.बी.4276 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 56 वर्ष से अधिक बताया गया है। इनके द्वारा समर्पित डॉ0 बी.एम.डोडा, फिजिशियन, दिल्ली द्वारा दिनांक 23-09-2013 को इनके स्वास्थ्य की जाँच की गई है एवं सभी कुछ सामान्य पाया गया है। जबकि शस्त्र भौतिक सत्यापन की तिथि 04-10-2013, 05-10-2013 के बाद भी एक और मौका देते हुए 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन की जितनी भी तिथियाँ निर्धारित की गई, वे सभी ईलाजरत अवधि दिनांक 23-09-2013 के बाद की है एवं समर्पित बायोडाटा भी अधूरा भरा हुआ समर्पित किया गया है तथा शस्त्र का निरीक्षण 2005 के बाद नहीं कराया है। अनुज्ञप्तिधारी बहाना बनाकर बचना चाहते हैं। उनका यह कथन पूर्णतया मनगढ़ंत एवं सत्य से पड़े है, जो शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/95(सिंहेश्वर थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री सुधीर कुमार सिंह पे0 स्व0 रघुवीर प्रसाद सिंह, सा0 पटोरी, थाना- सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित रायफल सं0-94ए.बी.4276 सिंहेश्वर थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 112 /शस्त्र, दिनांक 21-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सुधीर कुमार सिंह पे0 स्व0 रघुवीर प्रसाद सिंह, ग्राम पटोरी, थाना- सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।